ग्राम पंचायत कस्बा कोटला, विकास खण्ड परागपुर ,जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या **PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669** दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कस्बा कोटला, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

1	श्री गणेश दत	**1-3-2013 से 22-1-2016**
2	श्री दर्शन सिंह	**23-1-2016 से लगातार**

सचिव :-

1	श्री सुशील कुमार	**1-4-2013 से लगातार**

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कस्बा कोटला के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	बैक खातों पर ब्याज प्राप्त न करना	---
	9	अनुदान उपयोग न करना	3.94
2	10	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	1.66
3	12	Assessmविभिन्न कार्यों का Assessment के बिना भुगतान करना	1.69
4	13	ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण किये जा चुके कार्यों की शेष बची राशि वापिस न लौटाना	0.33
5	14	निर्माण कार्य का Assessment से अधिक भुगतान	.02

2 **<u>वर्तमान अंकेक्षण</u>:-**

ग्राम पंचायत कस्बा कोटला, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार , कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 5/8/2016 से 9/8/2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

<u>वित्तीय वर्ष</u>	**<u>आय</u>**	**<u>व्यय</u>**
2013-14	1/2014	11/2013
2014-15	1/2015	9/2014
2015-16	10/2015	7/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **<u>अंकेक्षण शुल्क</u> :-**

ग्राम पंचायत कस्बा कोटला, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹7200**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि **₹7200**/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि **०प्र०)** शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 189/2016 दिनांक 9-8-2016 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **<u>वितीय स्थिति</u>:-**

ग्राम पंचायत कस्बा कोटला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी **:-**

(1) **<u>स्व: स्त्रोत</u> :-** ग्राम पंचायत कस्बा कोटला के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व :

स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	60301.75	78567	138868.75	52629	86239.75
2014-15	86239.75	87106	173345.75	54172	119173.75
2015-16	119173.75	76642	195815.75	85609	110206.75

(2) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत कस्बा कोटला के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	374053.5	605366	979419.5	487300	492119.5
2014-15	492119.5	697452	1189571.5	567010	622561.5
2015-16	622561.5	504588	1127149.5	732771	394378.5

5 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कस्बा कोटला द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम **2002** के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक **31-03-2016** को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में 141146.75 रुपये का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

1 रोकड़ वहि खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष ₹110206.75

2 रोकड़ वहि खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹394378.50

योग ₹504585.25

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**

1	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित कस्बा कोटला	20127014024	582070
2	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित कस्बा कोटला	56055872396	45602
3	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित कस्बा कोटला	5005872409	1
4	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित कस्बा कोटला	2012719060	0
5	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित कस्बा कोटला	10	220
6	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित कस्बा कोटला	859-9	16266
7	हिमाचल ग्रामीण बैंक कस्बा कोटला	1229	799
		Total	**644958**
		हस्तगत राशि	**774**
		योग	**645732**

अंतर 645732 - 504585 = ₹141146.75

6 **बैंक खातों पर ब्याज प्राप्त न करना :-**

ग्राम पंचायत कस्बा कोटला द्वारा निम्नानुसार बैंकों में बचत खाते खुलवाए गये थे परन्तु इन बचत खातों पर काफी समय से बैंक ने ब्याज नहीं लगाया है जिसके कारण स्पष्ट किये जाएँ तथा बैंक से ब्याज प्राप्त करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**राशि**	**दिनांक/अवधि जिसके उपरांत ब्याज नहीं लगाया गया**
काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित कस्बा कोटला	859-9	16266	4/2008
काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित कस्बा कोटला	10	220	1/1991
हिमाचल ग्रामीण बैंक कस्बा कोटला	1229	779	4/2008

	योग	**17265**	

7 **निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

8 **पंचायत राजस्व की वसूली :-**

पंचायत सचिव कस्बा कोटला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक **31-03-2016** तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹5125** वसूली हेतु शेष थी।

1 **गृहकर** :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013-14	2250	5060	7310	3810	3500
2014-15	3500	5685	9185	4810	4375
2015-16	4375	5510	9885	4760	5125

9 **अनुदान ₹3.94 लाख का उपयोग न करना ;-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान **₹394379** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 <u>प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹1.66 लाख का अधिक व्यय</u>

सचिव ग्राम पंचायत कस्बा कोटला द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार **SDP, MNREGA,IAY,ZP,GRDY** में दिनांक **31-03-2016** को निम्नानुसार **₹166676** की राशि ऋणात्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन **SDP,MNREGA,IAY,ZP,GRDY** में अथवा किसी अन्य योजना से **SDP,MNREGA, IAY,ZP,GRDY** का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं।

1	**SDP**	**56560**
2	**MNREGA**	**1**
3	**ZP**	**25225**
4	**IAY**	**9000**
5	**GRDY**	**75890**
	योग	**₹166676**

11 <u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

12 <u>Assessment Assessment के बिना भुगतान करना :-</u>

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम्

एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा **₹169326** का भुगतान assessmentके बिना किया गया । अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए assessment के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

13 ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण किये जा चुके कार्यों की शेष बची ₹ 0.33 लाख को वापिस न लौटाना

ग्राम पंचायत में विभिन्न विभागों से निर्माण कार्य करवाने के लिए अनुदान राशि प्राप्त की गई थी। तकनीकी सहायक द्वारा मापन पुस्तिका संख्या 7529 में दिए गये प्रमाण पत्र के अनुसार यह निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा इन निर्माण कार्यों के विरुद्ध प्राप्त की गईं राशि में से **परिशिष्ट (3)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार ₹32545 शेष बचे हैं जिन्हें सम्बन्धित विभागों को वापिस किया जाए।

14 निर्माण कार्य की ASSESSMENT राशि से ₹1754 का अधिक भुगतान

शीर्ष :---- जिला परिषद

निर्माण कार्य का नाम :---- C/O Link Road To Tehsil KaryalaKaryala

मापन पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या :----- 7529 page 29 से 32

ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य कीFinal **ASSESSMENT** की Assessmरिकार्ड प्रविष्टि की जाँच करने पर पाया गया कि Assessment **ASSESSMENT** के अनुसार कुशल एवम् अकुशल मजदूरों को मजदूरी ₹36114 ही देय थी, परन्तु उन्हें निम्नानुसार ₹37868 का भुगतान करने के कारण ₹1754 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

वाउचर संख्या	मास	विवरण	राशि
15	8/2015	अकुशल मजदूर	33212
17	8/2015	कुशल मजदूर	4656
		योग	**37868**

15 अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है। जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है| अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिशित किया जाए।

16 **<u>मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-</u>**

ग्राम पंचायत कस्बा कोटला की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन   नहीं किया गया और न ही **test check** किया गया। अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए ।

17 **<u>मस्टर रोल को निर्माण कमेटी तथा VIGILENCE कमेटी से सत्यापन न करवाना:-</u>**

पंचायत कस्बा कोटला द्वारा लाखोँ रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें **मस्टर रोल** पर भुगतान किया गया परन्तु नियमानुसार मस्टरोल को निर्माण कमेटी तथा VIGILENCE कमेटी से सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए !

18 **<u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व   आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

<u>क्रम</u>	**<u>रजिस्टर/अभिलेख</u>**	**<u>फॉर्म संख्या</u>**	**<u>संदर्भित नियम</u>**

1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 **<u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

21 **निष्कर्ष :-** ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 15 / 2016–खण्ड–1–5700–5703 दिनाँक : 03.11. 2016 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत कस्बा कोटला, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

<u>पैरा संख्या 13 के संधर्भ में परिशिष्ट (3)</u>

निम्नानुसार दर्शाए गए कार्यों की मापन पुस्तिकायें तथा Assemant तैयार नहीं की गई

सामान्य रोकड़ वही

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
43	9/2014	मुरम्मत आम रास्ता गांव भोली	3910
50	9/2014	अपवर्धन पंचायत घर कस्बा कोटला	12274
51	9/2014	अपवर्धन पंचायत घर कस्बा कोटला	5282
36	7/2015	निर्माण जीप योग्य रोड खड्ड से हरिजन बस्ती	(i)32500
			(ii)27200
			(iii)2400
41	7/2015	निर्माण जीप योग्य रोड खड्ड से हरिजन बस्ती	6500
51	7/2015	निर्माण जीप योग्य रोड खड्ड से हरिजन बस्ती	39000
52	7/2015	निर्माण जीप योग्य रोड खड्ड से हरिजन बस्ती	37200
46	7/2015	मुरम्मत कुआँ गांव भोली वार्ड नंबर 2	3060
		योग	**169326**

पैरा संख्या (13)के सन्धर्भ में परिशिष्ट (2)

निर्माण कार्यों की सूचि जो पूर्ण हो चुके हैं

निर्माण कार्य	**शीर्ष**	**अनुदान राशि**	**व्यय**	**शेष**	**अंतिम assessment MB NO.& Page no.**
C/O path & danga Munshi Ram ke ghar ki trf.	VKVNY	50000	48580	1420	7529 page 7 to 10
Babri near tehsil	13 FC	30000	23396	6604	7529 page 24 to 28
C/O Marg Mukhy sadk se lekr Ghyol basti	Z P	45000	20551	23449	7529 page 36 to 38
Repair Nalas Line Karm Chand ke ghar tak	13 F C	12000	10928	1072	7529 page 38 to 41
			Total	**32545**	